...पत्र निकस्ती बढ़ाई जाती है।

16.8.24 पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा न्यायिक कार्य स्थगन/बहिष्कार रखने से पत्रावली दिनांक 23.8.24 को पेश हो।

23/8/24 पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष के अधिवक्ता उप०। बहस सुनी गई। बहस में वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम कापड़िया पटवार हल्का बावलास के खाता नं० 10 में नकल जमाबन्दी सम्वत 2071 से 74 में आ०न० 96 रकबा 0.17 बीघा, आ०न० 112 रकबा 1.01 बीघा, आ०न० 154 रकबा 3.03 बीघा, आ०न० 224 रकबा 8.12 बीघा, आ०न० 226 रकबा 2.03 बीघा, आ०न० 255 रकबा 2.06 बीघा, आ०न० 256 रकबा 7.17 बीघा, आ०न० 336 रकबा 2.17 बीघा, आ०न० 337 रकबा 0.02 बीघा, आ०न० 339 रकबा 0.06 बीघा, आ० नं० 345 रकबा 1.04 बीघा, आ०न० 346 रकबा 1.07 बीघा, आ०न० 406 रकबा 1.05 बीघा कुल कीता 13 कुल रकबा 33.00 बीघा भूमि प्रतिवादी सं० 1 उदयराम पिता धोगा दादा नापू जाट के नाम खातेदारी से दर्ज है। उक्त आराजीयात में से आ० न० 226, 255, 256 कुल कीता 3 कुल रकबा 12.06 बीघा भूमि जरिये पंजीबद्ध विक्रयपत्र दि० 21-8-18 को विपक्षी संख्या 2 को प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा विक्रय की गई जो गलत है क्योंकि बाद वर्णित आराजीयात मय चाह की आ०न० 338 रकबा 0.03 बिस्वा साहित

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | की अविभक्त आराजीयात संयुक्त हिन्दू परिवार की अविभक्त आराजीयात संयुक्त हिन्दू परिवार प्रार्थीगण का कब्जा होकर उसके प्रत्येक इंच पर प्रार्थीगण का कब्जा होकर उसके प्रत्येक इंच पर बिना विभाजन कराये भूमि के काबिज होने से बिना विभाजन कराये भूमि के किसी भी अंश का प्रतिवादी सं० 1 को विक्रय करने का कोई अधिकार नहीं है। वाद वर्णित आराजीयात में विपक्षी संख्या 1 का 1/7 हिस्सा यानि 4 बीघा 14 बिस्वा ही बनता है परन्तु (प्रतिवादी) अप्रार्थी सं० 1 ने अपने हक हिस्से से भी अधिक भूमि का विक्रय किए जाने से प्रार्थीगण के हक अधिकारों के मुकाबले विक्रयपत्र शून्य व बे असर है। प्रार्थीगण ने वाद वर्णित आराजीयात की धोगा पिता नाथू जाट के खाते की नकल जमाबन्दी सम्वत 2059 से 2062 के खाता संख्या 81 की प्रति पेश की जिसमें धोगा के फौत होने पर ना० सं० 671 दि० 5/8/04 से खाता उदयराम पिता धोगा के नाम दर्ज हुआ। पत्रावली में नामा० सं० 671 की प्रमाणित प्रति संलग्न है। वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थी सं० 1 वगैरह के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा फरमाई जावे। बहस में वकील अप्रार्थी ने निवेदन किया कि वाद वर्णित आराजीयात पैतृक नहीं है। वाद वर्णित आराजीयात में प्रार्थीगण का 6/7 हक हिस्सा नहीं है न ही काबिज काश्त | |

ही है। प्रार्थी सं० 1 विपक्षी सं० 1 से परिवार सहित अलग निवास करता है व प्रार्थी सं० 2 से 6 की विपक्षी सं० 1 ने शादी करवा दी जो उनके ससुराल में निवास करती है। विपक्षी सं० 2

[signature]

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | ग्राम कापड़िया की आ०न० 338 किस्म चाह रकबा 0.03 बिस्वा में उदयराम पिता दोगा का 1/2 एवं ~~[illegible]~~ दोगा पिता नाथू जाट का 1/2 संयुक्त हिस्सा होना नकल जमाबन्दी सम्वत 2059 से 2062 से सिद्ध होती है। दोगा के फौत होने पर नामान्तरकरण संख्या 671 दिनांक 5/8/05 से खाता दोगा पिता नाथू के बजाय उदयराम पिता दोगा के नाम पर वादवर्णित आराजीयात व चाह की आराजी खातेदारी से दर्ज हुई जो वर्तमान नकल जमाबन्दी सम्वत 2071 से 2074 के खाता संख्या 10 व 214 में दर्ज होना सिद्ध होता है। चूंकि वादवर्णित भूमि पैतृक होने से प्रार्थीगण हक हिस्सा पाने के अधिकारी है इस प्रकार प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होता है। प्रार्थीगण के हक हिस्से का निर्धारण मूल वाद में तय होगा। चूंकि भूमि पैतृक होना सिद्ध होने से प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित हो चुका है इस प्रकार भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की अविभाजित सम्पत्ति होने से प्रत्येक इंच भूमि पर प्रत्येक सहखातेदार व वारिस का कब्जा भी माना जाता है यह भी वाद में निर्णित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में भूमि का वाद विचारण के दौरान विक्रय या हस्तान्तरण कर दिया जाता है तो इससे प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी व मुकदमे बाजी बढेगी इस प्रकार सुविधा | |

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज |
|---|---|
| | का आ०नं० 226, 255, 256 पर क्रय की दिनांक से कब्जा हो आदिनांक तक अनवरत चला आ रहा है। क्रय की गई भूमि के चारो तरफ लोहे की जालियां व सीमेंट के खंभे लगा रखे हैं। प्रार्थीगण ने झूठा व असत्य दावा पेश किया है। वादवर्णित भूमि दोगा पिता नाथू जाट की थी। दोगा की मृत्यु पर नामान्तकरण खुला जिसमे एक पुत्र व छः पुत्रियां कंकू, जेती, संतोक, बरजी, नोजी व देऊ का नाम अंकित किया गया। दोगा की सभी 6 पुत्रियो ने विपक्षी संख्या 01 के हक मे हक त्याग किया जिससे दोगा की विरासत का इंतकाल अकेले विपक्षी सं० 1 के नाम पर दर्ज किया इस प्रकार विपक्षी सं० 01 को विरासत से मात्र 1/7 हिस्सा ही प्राप्त हुआ है एवं 6/7 हिस्सा बख्शीश से प्राप्त हुआ है। विपक्षीगण के विरुद्ध कोई विनाय वाद पैदा नहीं हुआ है। अतः प्रार्थनापत्र सारहीन व असत्य होने से खारीज फरमाया जावे।<br>हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी व प्रार्थनापत्र व जवाब में अंकित तथ्यों व प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि वाद वर्णित आराजीयात ग्राम कापड़िया की आ०नं० 96-112-144-224-226-255-256 336-337-339-345-346-406 कुल कीता 13 कुल रकबा 33.00 बीघा नकल जमाबन्दी सम्वत 2059 से 62 के खाता संख्या 81 में अन्य आराजीयात के साथ श्री दोगा पिता नाथू जाट सा० देह के नाम पर खातेदारी से दर्ज होना सिद्ध होता है अतिरिक्त |

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

प्रार्थना पत्र 98/19 (212 RTA - मोहन बनाम उदयराम)

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
| --- | --- | --- |
| | सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य प्रतीत होता है। अतएव -<br>आदेश<br>प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के खिलाफ इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि मौजा कापडिया की आ०न० 96 रकबा 0.17 बिस्वा, आ०न० 112 रकबा 1.01 बीघा, आ०न० 145 रकबा 3.03 बीघा, आ०न० 224 रकबा 8.12 बीघा, आ०न० 226 रकबा 2.03 बीघा, आ०न० 255 रकबा 2.06 बीघा, आ०न० 256 रकबा 7.17 बीघा, आ०न० 336 रकबा 2.17 बीघा, आ०न० 337 रकबा 0.02 बीघा, आ०न० 339 रकबा 0.06 बीघा, आ०न० 345 रकबा 1.04 बीघा, आ०न० 346 रकबा 1.07 बीघा, आ०न० 406 रकबा 1.05 बीघा कुल कीता 13 कुल रकबा 33.00 बीघा व नाह की आ०न० 338 रकबा 0.03 बीघा से सम्बन्धित राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति मूल वाद के निस्तारण तक बनाए रखें। अप्रार्थी नं० 1 व 2 उपरोक्त आराजीयात को किसी प्रकार से रहन बय बक्षीस, विक्रय या हस्तान्तरित न स्वयं करें न किसी अन्य से करावें। आदेश लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।<br>पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।<br>हस्ताक्षर<br>उपखण्ड अधिकारी<br>मांडल जिला भीलवाड़ा | |